



UPMP010023182026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी

जमानत प्रार्थना पत्र सं० 785/2026

रामभजन पुत्र वीरेन्द्र शाह निवासी बड़वा पोस्ट वखरी थाना कल्यानपुर जनपद मोतीहारी बिहार।

---प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

---विपक्षी/वादी

आदेश

1- प्रार्थी/अभियुक्त रामभजन की ओर से यह प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 177/ 2026 अन्तर्गत धारा-88,137(2) बी.एन. एस. थाना- किशनी जिला मैनपुरी में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- दौरान सुनवाई विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र के हासिए पर "जमानत प्रार्थना-पत्र पर बल नहीं देने का पृष्ठांकन किया गया है। " चूंकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उक्त जमानत प्रार्थना-पत्र पर बल नहीं देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र बल न देने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त रामभजन द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 177/2026 अन्तर्गत धारा-88,137(2) बी.एन. एस. थाना- किशनी जिला मैनपुरी में योजित जमानत प्रार्थना-पत्र बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है।

दिनांक:02-06-2026

(विजय कुमार डुंगराकोटी)

कृते जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

मैनपुरी

जे.ओ कोड यू पी 6156

अनिल कुमार अग्रवाल,

पी.ए